



क्रमांक / 5468 / मु.श.अधो.वि.यो.-II / यॉ.प्र. / 07-5 / 2018
प्रति,

भोपाल, 15-5, 2018

मुख्य नगर पालिका अधिकारी,
नगर परिषद, कोठी,
जिला-सतना (म0प्र0)

विषय - मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजनांतर्गत द्वितीय चरण में नगर परिषद, कोठी के कार्यों की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ - कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रीवा संभाग रीवा का पत्र क्र. 1874 दिनांक 08.12.2017

—0—

मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजनांतर्गत द्वितीय चरण में नगर परिषद, कोठी, जिला-सतना को राशि रु. 267.50 लाख की "म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 के लेखा नियम 1971 के नियम 132(1) खण्ड-(दो) 'क' के तहत तकनीकी स्वीकृति एवं नियम 131(3) खण्ड-(दो) के तहत प्रशासकीय स्वीकृति निम्नानुसार कार्यों के लिए प्रदान की जाती है -

क्र.	कार्य का विवरण	लागत राशि (लाख में)
1	Construction of C.C. road at Chitrakut Tiraha to Culvert at ward no.-09, 10, 11 and 14	
	Part-A (Carriage way)	128.84
	Part-B (Divider)	
	Part-C (Drain)	
	Part-D (Culvert)	
	Part-H (Electric pole shifting)	
2	Construction of C.C. Road Culvert to School Road at ward no.-09, 10, 11 and 14	
	Part-A (Carriage way)	44.47
	Part-B (Drain)	
3	Construction of C.C. Road at Kamla Mhapatr to Jhali Chaoraha at ward no.-05, 02 and 03	
	Part-'A'-carriage way	32.43
4	Construction of Bus Stand pcc work	
	Part 'A'- pcc work	18.97
	Part 'B'-Drain	
5	Construction of Chirkut Road to Ward no.-07 P.C.C. Road & Drain at ward no.-15, 07 and 10	
	Part-'A'-carriage way	14.13
TOTAL		238.84
Add G.S.T.@12%		28.66
Grand Total		267.50
		(दो सौ सड़सउ लाख पचास हजार रूपये)

अनुभाग अधिकारी
नगरीय प्रशासन
विकास एवं पर्यावरण विभाग

// 2 //

शर्तें -

1. निर्माण कार्य की स्थिति अथवा किसी कार्य/कारण अनुसार यदि आयटम में परिवर्तन होता है तो निर्माण पूर्व उसकी अनुमति संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास से अनिवार्य रूप से ली जाए।
2. नगर पालिका परिषद् द्वारा क्रस्ट/हाईड्रालिक/स्ट्रक्चरल डिजाइन शासकीय/स्वशासी इन्जीनियरिंग/पॉलीटेक्निक कॉलेज से कराया जाकर संभागीय कार्यपालन यंत्री से अनुमोदन कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य कराया जाए।
3. निर्माण कार्य निकाय के स्वामित्व की भूमि पर होना चाहिए। अन्य प्राधिकारी के स्वामित्व की भूमि पर कार्य करने के पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
4. नाली निर्माण के कार्य में Longitudinal Slope अनिवार्य रूप से मेन्टेन किया जावे।
5. इस योजना के कार्यों को प्रारंभ करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि कार्य स्थल पर पेयजल या सीवर पाईप लाईन का कार्य तो नहीं किया जाना है। यदि सड़क निर्माण कार्य के बाद पेयजल या सीवर पाईप लाईन का कार्य किया जाना है तो यह कार्य पेयजल एवं सीवर कार्य होने के बाद ही करवाया जाए।
6. योजना के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुधार हेतु, राज्य शासन द्वारा नियुक्त एजेन्सी को, योजना से संबंधित वांछित दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए, निर्माण कार्य के गुणवत्ता नियंत्रण हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।
7. यह आदेश सक्षम स्वीकृति उपरान्त जारी किया जा रहा है।

(प्रभाकांत कटारे)

प्रमुख अभियंता

नगरीय प्रशासन एवं विकास

म0प्र0 भोपाल

भोपाल, 16-05, 2018

पृ. क्र/5469/मु.श.अ.व.वि.यो.-II/याँ.प्र./07-5/2018
प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, जिला-सतना (म.प्र.)
2. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रीवा संभाग रीवा।
3. कार्यपालन यंत्री, संभागीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रीवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अनुभाग अधिकारी
86 मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग


सहायक यंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास
म. प्र. भोपाल


प्रमुख अभियंता
नगरीय प्रशासन एवं विकास
म0प्र0 भोपाल


विधान सभा, प्रश्न क्र0-5573 अतारांकित, सत्र फरवरी-मार्च 2021

विषय :- मुख्यमंत्री अधोसंरचना मद में अनियमितता पर कार्यवाही।

क्र0	निकाय का नाम	कार्य का नाम	कार्य की लागत	कार्य की प्रगति	रिमांक
1	2	3	4	5	6
construction of cc road at chirtakut tiraha to culvert at ward no. 09,10,11 and 14					
1	नगर परिषद कोठी	Part - A (carriage way)	47.57	रोड 203 मी0 लंबाई / 80 %	पूर्व डी0पीआर में फिलींग वर्क स्वीकृत न होने के कारण कार्य रुका हुआ है।
		Part - B (Divider)	13.31	151 mtr / 70 %	पूर्व डी0पीआर में फिलींग वर्क स्वीकृत न होने के कारण कार्य रुका हुआ है।
		Part - C (drain)	32.96	नाली की लंबाई 480 मी / 100 %	नाली का निर्माण कार्य पूर्ण
		Part - D (culvert)	6.00	6x6 mtr /100 %	स्थल में 16 मीटर चौड़ी पुलिया निर्माण की आवश्यकता है तथा फिलींग कार्य की भी आवश्यकता है जिस कारण से पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार कर स्वीकृति हेतु संचालनालय को भेजा गया है।
Parth- H (Electric pole shifting			29.00		सशोधित प्राक्कलन शासन को भेजा गया है।
		Total	128.84		


अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग


सहायक, यंत्री
नगरीय प्रशासन एवं विकास
म. प्र. शोभाल


मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद कोठी
जिला-सतना म0प्र0